भर्ती, पदोन्नति संबंधी मसविदा नियमों पर

ंजरी रोकने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने

7. कृपया ध्यान दें कि कानून में कर्जदार तथा जमानती संयुक्त रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से अग्रिम ब्याज तथा शुल्क आदि सहित बकाया राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं।
8. कृपया ध्यान दें कि पूर्ण पुनर्भुगतान तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा के लिए सहमत दरों तथा शेष राशि पर ब्याज अर्जित होता रहेगा।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार आपको हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से ऊपर संदर्भित किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को हस्तांतरित/अलग करने/स्थानांतरित करने से रोका जाता है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि उक्त अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का गैर-अनुपालन / उल्लंघन एक अपराध है, जो अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावास और/या जुर्माने द्वारा दंडनीय है।
10. क्रमांक 4 के अंतर्गत उल्लिखित गारंटरों ने उक्त कर्जदारों के ऋणों को प्रतिभूत करने के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी है तथा इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि आप कर्जदारों को हमारी मांग के अनुसार बकाया राशि चुकाने के लिए राजी करें क्योंकि हमें आपकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर हमारे बकाए की वसूली हेतु नियमानुसार आपके विरुद्ध एक साथ कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।
11. हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि खाते को निर्धारित समय के भीतर नियमित/चुकाया नहीं जाता है तथा यदि बैंक आपको आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बिलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करता है, तो बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके नाम, पता, चूक का विवरण, बकाया आदि के साथ समाचार पत्र(ओं) में आपकी तस्वीर प्रकाशित करने के अलावा वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सभी उपाय शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है एवं इसे किसी अन्य अधिकार या उपचार के त्याग के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के लिए हमारे पास है तथा साथ ही आपके द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में मांग करना हमारा अधिकार है।
13. इसके अलावा, आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

भवदीय
कृते, इंडियन ओवरसीज बैंक
प्राधिकृत अधिकारी

ने पर, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा

अग्रिम ब्याज तथा शुल्क आदि सहित बकाया राशि

। पर ब्याज अर्जित होता रहेगा।
जाता है, जिसके अनुसार आपको हमारी पूर्व लिखित
संपत्ति को हस्तांतरित/अलग करने/स्थानांतरित करने
ए नियमों में निहित प्रावधानों का गैर-अनुपालन /
। दंडनीय है।
व्यक्तिगत गारंटी दी है तथा इस प्रकार हम आपको
राजी करें क्योंकि हमें आपकी व्यक्तिगत गारंटी के
करने का अधिकार है।
यमित/चुकाया नहीं जाता है तथा यदि बैंक आपको
बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके
प्रकाशित करने के अलावा वसूली के लिए बैंक के

किसी अन्य अधिकार या उपचार के त्याग के रूप
ाथ ही आपके द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के

ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की

भवदीय
कृते, इंडियन ओवरसीज बैंक
प्राधिकृत अधिकारी

नियमावली, 2009 के नियम 17 के मामले में
तथा
ब्रेवटिफुल कैफे एलएलपी
LLPIN:ACF-5974
पंजीकृत कार्यालय: डी-66, जी/एफ, छत्तरपुर एन्क्लेव, 60 फुटा रोड, सावन पब्लिक स्कूल, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, (डी एल)-110074 के मामले में
---आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य से चंडीगढ़" संघ क्षेत्र में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए,-एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत ब्रेवटिफुल कैफे एलएलपी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 इक्कीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
सीपी-67, साइट नं. 252, सेक्टर-67, मोहाली, चंडीगढ़-160062
बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
ब्रेवटिफुल कैफे एलएलपी
हस्ता: /-
तिथि: 01.02.2025 कमल कुमार ग्रेड पदनामित पार्टनर
स्थान: दिल्ली (DIN : 08170484)

मध्यप्रदेश के उमरिया और भिंड जिलों में गुरुवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि उमरिया में सुबह करीब 7.30 बजे दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच हुई टक्कर में तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। यह दुर्घटना जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर पाली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर हुई। एक ट्रक शहडोल से उमरिया आ रहा था, जबकि दूसरा ट्रक विपरीत दिशा में जा रहा था। पाली थाना प्रभारी मदन लाल मराबी ने बताया कि उमरिया आ रहे ट्रक में सवार तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन में सवार एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक अन्य दुर्घटना में भिंड जिले में दो ट्रकों के आपस में टकराने से उनके चालकों की मौत हो गई। यह घटना खेरिया बाग गांव के पास रात करीब डेढ़ बजे घटी। मेहगांव के पुलिस उपमंडल अधिकारी संजय कोछा ने बताया कि धान से लदा एक ट्रक उत्तर प्रदेश के बरेली शहर जा रहा था, जबकि सब्जियां लेकर दूसरा ट्रक उत्तर प्रदेश के इटावा शहर की ओर जा रहा था।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2 इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलि अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर दे प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम/(बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति
1.	**शाखा: बड़ौत, मेरठ** श्री प्रशांत पुत्र स्व0 श्री केशोराम शर्मा (सह-ऋणी + केशोराम शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता: मकान नं0 18/408, पट्टी चौधरन, स्ट्रीट नं0 20, बड़ौत, बागपत- 250611, श्रीमती पूनम पुत्री स्व0 स्व0 केशोराम शर्मा (केशोराम शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता: मकान नं0 18/408, पट्टी चौधरन, स्ट्रीट नं0 20, बड़ौत, बागपत- 250611, श्रीमती मंजू पुत्री स्व0 श्री केशोराम शर्मा (केशोराम शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता: मकान नं0 18/408, पट्टी चौधरन, स्ट्रीट नं0 20, बड़ौत, बागपत- 250611, श्रीमती अंजू पुत्री स्व0 श्री केशोराम शर्मा (केशोराम शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता: मकान नं0 18/408, पट्टी चौधरन, स्ट्रीट नं0 20, बड़ौत, बागपत - 250611, श्रीमती गीता पुत्री स्व0 श्री केशोराम शर्मा (केशोराम शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी), पता: मकान नं0 18/408, पट्टी चौधरन, स्ट्रीट नं0 20, बड़ौत, बागपत- 250611, श्रीमती सुधा वशिष्ठ पत्नी श्री अनिल कुमार (गारन्टर + केशोराम के कानूनी उत्तराधिकारी), पता: मकान नं0 2सी/137, आवास विकास कॉलोनी, बड़ौत, बागपत- 250611	**प्राथमिक सम्पत्ति:** बंधक आवासीय मक व भूखंड, माप क्षेत्रफल 199.59 वर्ग मी माप क्षेत्रफल 199.59 वर्ग मीटर, स्थित बड़ौत, जिला- बागपत, सम्पत्ति स्वामी सेवाराम। सीमाएँ:- पूर्व: श्री राम सिं वर्तमान में साहब सिंह का मकान, प रास्ता एवं नरेश एवं ब्रजभूषण का मक मकान वर्तमान में प्यारे लाल शर्मा का म मकान वर्तमान में जैन कुमार वर्मा का म 1, जिल्द नं0 344, पेज नं0 383/384, ऑफिस बागपत में पंजीकृत है।

दिनांक- 06.02.2025 स्थान: मेरठ

Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001
Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233
E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in
CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE

Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 14th day of February 2025 at the Registered Office of the Company situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Surajkund, Shooting Range Road, Faridabad, Haryana-121001 to inter-alia consider the following business:

1. To take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended on 31st December 2024.
2. To Consider the sale of Factory Unit of the Company situated at 50-51 Milestone, G.T. Karnal Road, Murthal, Sonepat (Haryana)-131027 by way of Slump Sale and any other matter consequential and incidental thereto.
3. Any other matter as may be considered appropriate by the Board.

Place: Faridabad
Date : 06th February 2025

By Order of the Board of Directors
For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
Deepak Kaushal
Company Secretary & Manager (Legal)

all FB + Jan 7/02/Kohinoor 6x8

Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001
Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233
E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in
CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE

Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 14th day of February 2025 at the Registered Office of the Company situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Surajkund, Shooting Range Road, Faridabad, Haryana – 121001 to inter-alia consider the following business:

1. To take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended on 31st December 2024.
2. To Consider the sale of Factory Unit of the Company situated at 50-51 Milestone, G.T. Karnal Road, Murthal, Sonepat (Haryana)-131027 by way of Slump Sale and any other matter consequential and incidental thereto.
3. Any other matter as may be considered appropriate by the Board.

Place: Faridabad
Date : 06th February 2025

By Order of the Board of Directors
For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
Deepak Kaushal
Company Secretary & Manager (Legal)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INDIA'S FAVOURITE

BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED
Registered Office: F 196 -199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bika
CIN : L15499RJ1995PLC010856, Tel.: +91 151-2250350, **E-mail:** cs@bikaji.co

Extract of Unaudited Consolidated Financial results for the quarter and nin

PARTICULARS	QUARTER ENDE	
	December 31, 2024	September 30, 20
	(Unaudited)	(Unaudited)
Total revenue from operations	71,489.69	72,117.48
Net Profit for the period before Tax, (before Exceptional and/or Extraordinary items)	3,851.88	9,308.19
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,851.88	9,308.19
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,777.73	6,858.39
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,768.71	6,849.94
Equity Share Capital	2,503.82	-2,503.82
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-
Earning per share (of INR 1/- each) (not annualised)		
-Basic	1.14	2.76
-Diluted	1.14	2.76

The Key numbers of Unaudited Standalone Financials Results of the Compa

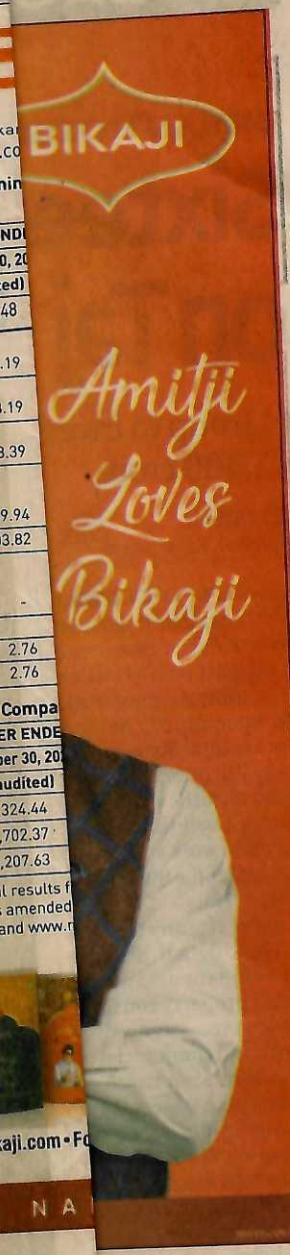
PARTICULARS	QUARTER ENDE	
	December 31, 2024	September 30, 20
	(Unaudited)	(Unaudited)
Total revenue from operations	67,633.59	71,324.44
Net Profit before tax	4,178.38	9,702.37
Net Profit after tax	3,079.14	7,207.63

Note: The above is an extract of detailed format for quarterly unaudited Financial results f of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended Stock Exchange where shares of the company are listed i.e. www.bseindia.com and www.n be accessed by the scanning the QR Code provided below:



Call : +91-151-2250350 • E-mail: care@bikaji.com • website: www.bikaji.com • Fo
AN ISO 9001 AND ISO 22000 CERTIFIED ORGANIZATION

BHUJIA • NA



GREENPANEL

MDF KA DOOSRA NAAM

Greenpanel Industries Limited

Registered & Corporate Office: DLF Downtown, Block 3, 1st Floor, DLF Phase 3, Sector 25A, Gurugram – 122002, Haryana, India. Tel No.: +91-124-4784 600
CIN: L20100HR2017PLC127369
E-mail: investor.relations@greenpanel.com, Website: www.greenpanel.com

NOTICE

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on February 6, 2025, declared an Interim Dividend for the financial year 2024-25 at Rs. 0.30 (i.e. 30%) per equity shares of the Company. This dividend will be payable to those members whose names appear in the register of members of the Company, or as a beneficial owners as per the particulars furnished by the depositories viz. National Securities Depositories Ltd. and Central Depositories Services (India) Ltd., at the close of the business hours on February 18, 2025 being the 'Record Date' to ascertain the eligibility of members to receive the interim dividend.

The said dividend will be paid on or before March 8, 2025.

By order of the Board of Directors
For Greenpanel Industries Limited
Sd/-
Lawkush Prasad
Company Secretary & VP - Legal
ACS:18675

Place: Gurugram
Date: February 6, 2025

MDF | Pre-Laminated MDF | Wooden Flooring | Plywood